

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in
सं०:-राज / बाड-28 / सि०र्थ-13

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202
दिनांक. 27-03-2018

प्रेषित श्री भौम सिंह राठौड़ पुत्र श्री चन्दन सिंह राठौड़.
297, हनवन्त-ए
बीजेएस पावटा
जोधपुर 342001

विषय: राजस्थान राज्य के बाडमेर जिले में स्थित आपकी भियाड सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर (ML . 65/2012) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानो का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 18.02.2018 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
नियम 11(4)	खनन योजना दिनांक 26.07.2013 को अनुमोदित की गई थी जिसके प्रस्तावों का अनुमोदन आपके खनन पट्टा निष्पादन की तारीख 8.11.2013 से पाँच वित्तिय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिये प्रभावी हैं एवं जिसकी अवधि 31.3.2018 तक हैं पट्टाधारी को इस अवधि के समाप्त होने के 180 दिन पूर्व Review of Mining Plan बनाकर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करनी थी। परन्तु नियम 11(3) की अनुपालना के लिये Review of Mining Plan अभी तक सक्षम अधिकारी को जमा नहीं की गई।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

- प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
 - 2) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
 - 3) गार्ड फाईल

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो